भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2530

दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

पशुओं की घटती संख्या

2530. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उस समय पशुओं की संख्या अधिक थी जब कृषि व्यवस्था पशुओं पर निर्भर थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ट्रैक्टरों और कृषि संबंधी मशीनों के उपयोग के परिणामस्वरूप पशुओं की संख्या में काफी कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समस्या पर काबू पाने और पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पशुओं की घटती संख्या ने चमड़ा उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है और चमड़ा उत्पाद महंगे हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) त्यौहारों के मौसम में सिंथेटिक दूध से बनी मिठाइयों की धड़ल्ले से बिक्री को रोकने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या कालाबाजारी में लिप्त व्यक्तियों के लिए कठोर दंडात्मक उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) जी नहीं, पशुधन संगणना के आंकड़ों के अनुसार पशुओं की संख्या वर्ष 1956 में 306.60 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 में 536.76 मिलियन हो गई। यह 63 वर्षों में 75 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। इसी अवधि के लिए गोपशुओं और भैंसों दोनों की कुल मिलाकर वृद्धि लगभग 49 प्रतिशत है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के तहत निर्धारित मानक, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई द्वारा उठाए गए निवारक उपाय **अनुबंध I** में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध- I

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा दिनांक 10.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2530 के भाग (ड़) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (एफएसएसआर) के तहत निर्धारित मानकों, सीमाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआई अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य संरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से त्योहारों के मौसम सहित पूरे वर्ष नियमित स्थानीय/लक्षित विशेष प्रवर्तन और निगरानी अभियान, निरीक्षण और नमूनाकरण कार्यकलाप आयोजित करता है। यदि मानकों से कोई विचलन या एफएसएसआर का उल्लंघन देखा जाता है तो चूककर्ता खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) एफएसएस अधिनियम 2006 और इससे संबंधित नियमों के तहत निर्धारित दंडात्मक उपायों सहित विनियामक कार्रवाई के अधीन हैं। ऐसे निवारक उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. दूध और दूध उत्पादों पर अखिल भारतीय निगरानी 2023: 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 756 जिलों से संगठित क्षेत्रों (पैक नमूने) से 4,878 नमूनों और असंगठित क्षेत्रों (खुले नमूने) से 5,248 नमूनों सहित 10,126 नमूने संग्रहित किए गए। सभी नमूनों का दूध और दूध उत्पादों के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट मापदंडों के लिए परीक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से पता चला कि 98% नमूने मानव उपभोग के लिए सुरक्षित थे।
2. दूध और दूध उत्पादों की ऊपर उल्लिखित निगरानी रिपोर्ट के आधार पर एफएसएसएआई ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य प्राधिकरणों और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रवर्तन अभियान चलाया।
3. एफएसएसएआई त्योहारों का मौसम आरंभ होने से पहले और उसके आसपास विशेष अभियान भी चलाता है। बाजार से यादृच्छिक (रैंडम) नमूनों के चयन के साथ-साथ ये विशेष अभियान दूध और घी, खोया, पनीर और मिठाइयों जैसे दूध से बने उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दशहरा और दिवाली के दौरान दूध और दूध से बने उत्पाद, नमकीन और मिठाइयाँ आदि जैसे खाद्य उत्पादों के नमूनों का चयन और उनके विश्लेषण का विवरण **अनुबंध II** में देखा जा सकता है।
4. एफएसएसएआई देश भर में मोबाइल परीक्षण परिचालन करके, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण को सक्षम करके खाद्य सुरक्षा और मानकों के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) नामक एक महत्वपूर्ण पहल भी चला रहा है। अगस्त से अक्टूबर 2024 तक त्योहारों के मौसम के दौरान कुल 261 एफएसडबल्यू इकाइयां सक्रिय रूप से देश भर में तैनात की गईं। यह पहल, खासकर त्योहारों की उच्च मांग वाली अवधि के दौरान, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस अवधि के दौरान इस पहल ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए किए गए कुल परीक्षण: 95,530
    - पाए गए गैर-अनुपालन मामले: 5,099
    - आयोजित जागरूकता कार्यक्रम: 5,845
    - आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम: 4,037

अनुबंध-II

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा दिनांक 10.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2530 के अनुबंध-I के पैरा 3 में संदर्भित अनुबंध

मिठाई, नमकीन, घी, खोवा, पनीर जैसे दूध और दूध उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए विशेष अभियान के संबंध में प्रवर्तन आंकड़े (आज तक)			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**लिए गए नमूनों की कुल संख्या**	**अनुरूप नमूनों की संख्या**	**गैर-अनुरूप नमूनों की संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0
आंध्र प्रदेश	8	5	3
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	0	0	0
बिहार	0	0	0
चंडीगढ़	38	4	5
छत्तीसगढ	108	107	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0
दिल्ली	0	0	0
गोवा	127	126	1
गुजरात	1565	1481	84
हरियाणा	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	135	98	37
जम्मू और कश्मीर	0	0	0
झारखंड	0	0	0
कर्नाटक	8	7	0
केरल	40	17	21
लद्दाख	22	22	0
लक्षद्वीप	1	1	0
मध्य प्रदेश	413	364	49
महाराष्ट्र	0	0	0
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	10	8	0
मिजोरम	0	0	0
नागालैंड	6	6	0
ओडिशा	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0
पंजाब	649	532	91
राजस्थान	867	536	331
सिक्किम	0	0	0
तमिलनाडु	413	323	90

तेलंगाना	2	1	0
त्रिपुरा	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1031	455	576
उत्तराखंड	0	0	0
पश्चिम बंगाल	35	27	0
एनआरओ, एफएसएसएआई	5	3	2
डब्ल्यूआरओ, एफएसएसएआई	0	0	0
एसआरओ, एफएसएसएआई	0	0	0
ईआरओ, एफएसएसएआई	12	7	0
कुल	**5495**	**4130**	**1290**

स्रोत: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण *(एफएसएसएआई)*

*****